

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1859
उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियां

1859. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आज के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बड़ी फर्मों द्वारा किया जा रहा शोषण छोटी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विभिन्न उपाय और पहलें कार्यान्वित की गई हैं; और
- (ख) सरकार द्वारा वित्तीय कठिनाइयों, पुराने उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से संबंधित ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो उन्हें आयातों की तुलना में और विदेशी निर्यात बाजारों के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी बनाते हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के समक्ष आने वाली चुनौतियों में से एक खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी करना है। सरकार द्वारा इस मुद्दे के निपटान हेतु अनेक उपाय और पहलें की गई हैं।

- (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को विलंबित भुगतान के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है।
- (ii) वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई के बकायों की निगरानी के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (<http://samadhaan.msme.gov.in/MyMSME/MSEFC/MSEFCWelcomer.aspx>) आरंभ किया गया।
- (iii) आत्म निर्भर भारत घोषणाओं के पश्चात, एमएसएमई को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बकायों और मासिक भुगतानों की रिपोर्टिंग के लिए, दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर, एक विशेष उप-पोर्टल सृजित किया गया।
- (iv) एमएसएमई मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विलंबित भुगतानों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए और अधिक एमएसईएफसी स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है। अभी तक, 161 एमएसईएफसी स्थापित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक से अधिक एमएसईएफसी हैं।
- (v) एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा अन्य नवोन्मेष तंत्रों के माध्यम से एमएसएमई हेतु क्रेडिट पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से, ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउन्टिंग सिस्टम (ट्रेड्स), एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, बहुसंख्यक फाइनेंसर्स के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्ति पर छूट की सुविधा प्रदान करता है। उनकी व्यापार प्राप्ति को नकदी में परिवर्तित कर उनकी कार्यशील पूंजी का विस्तार (अनलॉक) करने के लिए भारत सरकार ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों के टर्नओवर की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया है।
- (vi) वे कंपनियां, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करती हैं तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान करने में उनके स्वीकरण की तिथि या वस्तुओं और सेवाओं की डीमंड स्वीकरण की तिथि से 45 दिनों से अधिक का समय हो जाता है, उनको भी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को बकाया भुगतानों की राशि का विवरण और विलंब के कारणों का उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत करना होता है।

(ख) : एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों के संबंध में सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

- i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म-उद्यम की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 15% से 35% तक की क्रेडिट लिंकड सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ii) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी समावेशन, जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपये और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को पूंजीगत विकास प्रदान करना है।
- iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, 10 करोड़ रुपये के ऋणों के लिए, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है, जिसे उनके द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कोलेटरल प्रतिभूति एवं तृतीय पक्ष गारंटी के बिना ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 90% तक गारंटी कवरेज प्रदान करते हुए विस्तारित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने, एमएसएमई के प्रौद्योगिकीय विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता वर्धन में सहायता के उद्देश्य से देश भर में प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) और विस्तार केन्द्रों (ईसी) की स्थापना की है। यह टीसी/ईसी विभिन्न सेवाएँ जैसे प्रौद्योगिकी सहायता, कौशलीकरण, इंक्यूबेशन और एमएसएमई को परामर्श तथा स्किल सीकर प्रदान करते हैं, जो उन्हें आयात और विदेशी निर्यात बाजारों के मुद्दे से निपटने में समर्थ बनाता है।
